बिहार सरकार

परिवहन विभाग

बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्

विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना।

दूरभाष संख्या–0612–2547448

विज्ञापन संख्या–स0 सु0/लीड एजेन्सी (नि0)–05–23/2018 (भाग–2), 614 दिनांक–19.10.2023

नियोजन हेतु विज्ञापन–02/2023

बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् के अधीन गठित **"लीड एजेन्सी"** के लिए Road Safety Civil Engineer, Accounts Officer एवं Cashier के पद पर अनुबंध के आधार पर नियोजन हेतु विहित प्रपत्र में **आवेदन पत्र** आमंत्रित किए जाते हैं :–

पद का नाम	पदों की संख्या	प्रतिमाह कुल वेतन	अधिकतम उम्र सीमा (01.10.2023 को)	शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव
1	2	3	4	5
Road Safety Civil Engineer	1 (अनारक्षित)	रू0 65,000/– (नियत) (पैसठ हजार)	उम्र–55 वर्ष	A Full Time Regular Engineering Degree in Civil/ Construction Discipline. Minimum of Eight (8) years Post Qualification Experience in Road Sector/Transportation Sector. Must possess excellent working knowledge of industry practice/safety/quality management systems on Civil Engineering. The candidate should have knowledge of CAD/ CAM.
Accounts Officer	1 (अनारक्षित)	रू0 65,000/– (नियत) (पैसठ हजार)	उम्र–45 वर्ष	Candidates must possess Chartered Accountant Degree/ICWA. Should have minimum Five (5) Years of Post CA/ICWA in the field of Accounts/ Treasury/Finance.
Cashier (रोकड़पाल)	2 (अत्यंत पिछड़ा वर्ग–1) (अनारक्षित महिला वर्ग–1)	रू0 30,000/– (नियत) (तीस हजार)	उम्र–55 वर्ष सेवानिवृत्त सरकारी पदाधिकारी हेतु–62 वर्ष	Candidate should have Full Time Regular Bachelor's Degree in Commerce with 60% Marks; Candidates must have good Excel & Tally knowledge. Candidate should have minimum Five (5) years of experience in the field of cash management. **OR** **Retired Government Employees:** Retired Clerk/Cashier/Assistant with Experience of Handling Cash & Cashbooks in any State Govt. Organization of Bihar. (The Educational Qualification does not apply for Employees Retired from Government).

शर्तें–

1. विज्ञापित पद की शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं नियोजन के शर्तों की विस्तृत जानकारी **विभागीय वेब साइट https://state.bihar.gov.in/transport** पर उपलब्ध है।
2. उक्त पद के लिए नियोजन की प्रक्रिया को किसी भी समय बिना कारण बताए रद्द करने का अधिकार सरकार के प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग–सह–सदस्य–सचिव, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना के पास सुरक्षित होगा एवं इसके विरूद्ध कोई दावा मान्य नहीं होगा।
3. कार्य अनुभव एवं उम्र की गणना दिनांक–01.10.2023 के आधार पर की जायेगी।
1. आवेदन पत्र समर्पित करने की **अंतिम तिथि 06.11.2023 को अपराह्न 6.00 बजे** तक है। आवेदन पत्र स्वंय जमा करायें या रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट से भेजें। **अन्तिम तिथि एवं समय** के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायगा।

19/10/2023

राज्य परिवहन आयुक्त–सह–प्रभारी पदाधिकारी,

लीड एजेंसी, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना।

बिहार सरकार

परिवहन विभाग,
बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्
विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना।
दूरभाष संख्या–0612–2547448
विज्ञापन संख्या–02/2023

आवेदित पद का नाम–...

1. आवेदक का नामः–...

2. आवेदक के पिता/पति का नामः–...

3. स्थायी पताः–...

....

हाल का फोटो

4. पत्राचार का स्थानीय पताः–...

....

5. मोबाईल नं0ः–...ई–मेल आई. डी...

6. जन्म तिथिः–...दिनांक 01.10.2023 को उम्रः–...

7. आरक्षण कोटिः–..................................(रोकड़पाल पद पर अ0पि0व0 कोटि हेतु जाति प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य है)

8. शैक्षणिक योग्यताः–...

9. तकनीकी योग्यताः–...

10. पद/वेतनमान (जिससे सेवानिवृत्त हुए हैं):–...

11. पूर्व अनुभव (अवधि सहित):–...

12. पुरस्कार/मेडल (यदि प्राप्त हुआ हो, तो):–...

13. सेवा अवधि में कभी दण्डात्मक कार्रवाई हुई हो, तो उसका विवरणः–...

....

14. लंबित विभागीय कार्रवाईः–...

15. किसी Case में Conviction हुआ हो अथवा लंबित हो, तो उसका विवरणः–...

....

16. कार्य अनुभव का ब्यौराः–...

(नोटः–सभी प्रमाण पत्र (शैक्षणिक/अनुभव) स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)।

घोषणा

मैं...यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त दी गई सारी जानकारी/सूचना सत्य है तथा इसे गलत पाये जाने पर मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

(आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर)

नियोजन हेतु सामान्य शर्तेः–

1. उक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन प्रथमतः एक वर्ष के लिए किया जाएगा। उसके बाद उनके कार्यकलापों, आवश्यकता एवं उनकी सेवा संतोषजनक पाये जाने पर एक–एक वर्ष के लिए सेवा विस्तारित की जा सकेगी। सेवानिवृत्त पदाधिकारी/कर्मचारी के मामले में अधिकतम उम्र सीमा 65 वर्ष होगी।
2. सेवा निवृत सरकारी पदाधिकारी/कर्मी के वेतन/मानदेय का निर्धारण बिहार सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के अनुरूप किया जायेगा।
3. अनुबंध के आधार पर नियोजन करते समय सरकार के आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा।
4. वैसे आवेदक, जिन पर कोई आपराधिक मामला अथवा निगरानी का मामला/विभागीय कार्यवाही/गंभीर आरोप विचाराधीन हो; का चयन नहीं किया जायेगा।
5. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे एवं नियोजन के पश्चात् सरकारी सेवा में नियमितीकरण का उनका दावा मान्य नहीं होगा।
6. अनुबंध की अवधि में कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग–सह–सदस्य सचिव द्वारा कारण पृच्छा प्राप्त कर सकारण आदेश (Reasoned Order) पारित करते हुये अनुबंध रद्द किया जा सकता है।
7. अनुबंध की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति का पुनर्नियोजन नहीं होता है, तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि में उनका अनुबंध स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिये कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
8. चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर नियोजन एवं पदस्थापन आदेश प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग–सह–सदस्य सचिव, बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना द्वारा निर्गत किया जायेगा।
9. नियोक्ता एवं अनुबंध के आधार पर नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति के बीच विहित प्रपत्र में एकरारनामा सम्पन्न किया जायेगा।

Ashima Jain 19/9/2023

राज्य परिवहन आयुक्त–सह–प्रभारी पदाधिकारी,
लीड एजेंसी,
बिहार सड़क सुरक्षा परिषद्, पटना।